न्यायालय जिला कलक्टर , फलोदी

पीठासीन अधिकारीः— श्री हरजी लाल अटल (आई.ए.एस.)

राजस्व अपील सं. :— 02 / 2024

अपीलांटा	बनाम	रेस्पोडेन्टस
बाबूराम पुत्र हरचंदराम जाति विश्नोई निवासी बांसवाडा नगर भींयासर तहसील फलौदी, जिला फलौदी		तहसीलदार फलौदी

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम विरूद्व नामान्तरकरण संख्या 378 ग्राम बांसवाड़ा नगर बनाराजगी आदेश तहसीलदार, फलौदी

उपस्थित वकील —:

अपीलाण्ट् की ओर से— अधिवक्ता श्री प्रवीण मदेरणा ।

रेस्पोडेण्ट्स संख्या 01 की ओर से — तहसीलदार स्वयं उपस्थित।

दिनांकः— 25/3/24

निर्णय

1. यह अपील राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत नामान्तरकरण संख्या 378 ग्राम बासवाड़ा नगर आदेश तहसीलदार फलौदी विरूद्व अपीलांट द्वारा मय प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत की है।
2. अपीलांटगण की अपील का संक्षिप्त सांराश इस प्रकार है ग्राम बासवाडा नगर पटवार क्षेत्र भींयासर के खेत खसरा नंबर 817/4 रकबा 9.16 बीघा, भूमि अपीलांट के नाम से खातेदारी में दर्ज थी। अपीलांट ने अपने खसरान की भूमि खसरा नंबर 817/4 में से 4 बीघा भूमि राज्य सरकार के पक्ष में ग्राम पंचायत भवन बनाने के लिये समर्पण की थी, परन्तु उक्त जमीन पर भवन निर्माण न कर अन्य जगह कर दिया। अपीलांट के खेत में ग्राम पंचायत भवन के निर्माण के लिये भूमि देने के लिये आग्रह करने पर अपीलांट क्षरा अपने खातेदारी की भूमि में से 4 बीघा भूमि का निःशुल्क समपर्ण किया था परन्तु ग्राम पंचायत के भवन का निर्माण अन्य जगह कर देने से उक्त समर्पण की गई भूमि की उपयोगिता नहीं है। अपीलांट नामान्तरकरण की भूमि में भवन निर्माण से पहले अपीलांट की भूमि पर निर्माण के लिये अपीलांट को कोई सुनवाई का अवसर नही दिया गया। इसलिए अपीलाधीन नामान्तरकरण खारिज योग्य होने से खारिज किया जाने का निवेदन किया। अपील आपके क्षेत्राधिकार में होने से यह अपीलांट ने अपील की म्याद के अंदर क्षेत्राधिकार की होने के कारण न्यायालय में पेश की है।
3. पत्रावली जरिये अधिवक्ता श्री प्रवीण मदेरणा के द्वारा अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम के तहत पेश की गई। जिसे जांच उपरान्त दर्ज रजिस्टर किया गया। रेस्पोडेन्टस की तलबी हेतु नोटिस जारी किये गये। तहसीलदार फलोदी से मूल रेकर्ड तलब किया गया । जो प्राप्त हुआ जिसे शामिल पत्रावली किया गया। तत्पश्चात पत्रावली को बहस में रखा गया।
4. अधिवक्ता अपीलांटगण ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट के खेत ग्राम पंचायत भवन के निर्माण के लिये भूमि देने के लिए आग्रह करने पर अपीलांट द्वारा अपने खातेदारी की

Apr 1, 2024, 08:28

Scanned with OKEN Scanner

भूमि मे से 4 बीघा भूमि का निः शुल्क समर्पण किया था परन्तु ग्राम पंचायत के भवन का निर्माण अन्य जगह कर देने से समर्पण की गई 4 बीघा भूमि की उपयोगिता नहीं रही है। अपीलाधीन नामान्तरकरण की भूमि में भवन निर्माण से पहले अपीलांट की भूमि पर निर्माण के लिये अपीलांट को कोई सुनवाई का अवसर नही दिया गया। इसलिए अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 378 ग्राम बांसवाड़ा नगर को निरस्त फरमाया जावें।

5. पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात एंव तहसीलदार फलोदी द्वारा प्रस्तुत मूल नामान्तरकरण अवलोकन किया गया। अभिभाषकगण द्वारा बहस के दौरान प्रस्तुत तर्को पर विचार मनन किया गया। प्रकरण में अपीलांट द्वारा अपील हेतु दो आधार प्रस्तुत किये गये है। प्रथम आधार यह अंकित किया गया है कि अपीलांट द्वारा ग्राम पंचायत के भवन निर्माण हेतु 4 बीघा भूमि का निशुल्क समर्पण किया था किन्तु ग्राम पंचायत भवन का निर्माण समर्पणसुदा भूमि के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कर दिया गया है। अतः नामान्तरकरण निरस्त किया जावें। प्रकरण में अपीलाधीन नामान्तरकरण आदेश के अवलोकन से प्रकट होता है कि उक्त नामान्तरकरण न्यायालय तहसीलदार फलौदी के आदेश क्रमांक/सम/2021/74–75 दिनांक 14.01.2021 की पालना में दर्ज किया गया है। नामान्तरकरण से यह प्रकट नहीं होता है कि उक्त समर्पण प्रयोजन विशेष की शर्त अंकित करते हुए किया गया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 55, 56 के अनुसार कोई भी काश्तकार (TENANT) अपनी खातेदारी भूमि का समर्पण भूमिधारी को नोटिस देकर समर्पण किया जा सकता है। तदनुसार भूमिधारी तहसीलदार द्वारा समर्पण स्वीकार करते हुए नामान्तरकरण दर्ज किये जाने के आदेश पारित किये गये है। अपीलांट द्वारा यह तर्क नहीं किया गया है कि उक्त समर्पण आदेश निरस्त कर दिया गया है। अपीलांट द्वारा यह भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है कि ग्राम पंचायत का भवन निर्माण समर्पण की गई भूमि में नहीं बनाया जाकर किसी अन्य स्थान पर किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन नामान्तरकरण आदेश में हस्तक्षेप किये जाने का कोई आधार नहीं है। अपीलांट द्वारा दूसरा आधार यह अंकित किया गया है कि अपीलाधीन भूमि पर भवन निर्माण से पूर्व सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। यह आधार भी औचित्यपूर्ण नहीं है, तथा इस संबध में कोई साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। भूमि समर्पण के पश्चात् अपीलांट को सूचना दिये जाने की विधिक तौर पर कोई आवश्यकता नहीं है।

ऐसी स्थिति में अपीलाधीन नामान्तरकरण में हस्तक्षेप को कोई औचित्य एवं विधिक आधार नहीं है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

तहसीलदार फलौदी से प्राप्त रेकर्ड को पुनः लौटाया जावें।

निर्णय आज दिनांक 25/9/2024. सरेइजलास सुनाया गया।

हरजी लाल अटल
(आई.ए.एस.)
जिला कलक्टर, फलोदी

Apr 1, 2024, 08:28
Scanned with OKEN Scanner